25.03.2022	पत्रावली लोक अदालत की बैंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की बैंच संख्या एक के समक्ष लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 610 दिनांक 04.06.1992 को निरस्त किया जाता है, तो दोनों पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील जरिए लोक अदालत की बैंच संख्या एक के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 610 दिनांक 04.06.1992 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वास्तविक उत्तराधिकारियों की जांच कर पुनः आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner